दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथि: 21 सितंबर, 2023</u>

रि.या.(सि.) 3840/2012 एवं सि.वि.आ. 13760/2014, 23429/2015, 15955/2017, 15956/2017, 26380/2019, 26381/2019, 26408/2019, 30356/2019, 30357/2019, 30358/2019 व 15030/2020

मनीष कुमार खन्ना ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री उदय गुप्ता, श्रीमती शिवानी एम.लाल, श्री एम.के. त्रिपाठी एवं सुश्री शुभांगी तिवारी, अधिवक्तागण

सुश्री रेबेका एम. जॉन, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्याय मित्र सहित श्री चिन्मय कनौजिया, श्री प्रवीर सिंह, सुश्री अनुष्का बरुआ एवं श्री नीलांजन डे, अधिवक्तागण

बनाम

राजस्व असूचना निदेशालय व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सतीश अग्रवाल प्रत्यर्थी सं.1/रा.अ.नि. हेतु वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, सहित श्री गगन वासवानी, अधिवक्ता

श्री सुभाष बंसल, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, एनसीबी(स्वा.नि.ब्यू.) सहित श्री शाश्वत बंसल, अधिवक्तागण
श्री आर.के.मित्तल, श्री योगेश कुमार, सुश्री भारती कपिल,अधिवक्तागण
श्रीमती अवनीश अहलावत, व.अ.,रा.रा.क्षे.दि.स. सहित श्रीमती तानिया अहलावत, श्री नीतेश कुमार कौशिक, सुश्री लावन्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम एवं श्री मोहनीश सहरावत, प्र.-2 एवं प्र.-3 हेतु अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. संजीव नरूला (मौखिक):

1. साक्षी न्याय प्रणाली की 'आंख और कान' हैं और वे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करके सत्य की खोज में न्यायालय की सहायता करने के पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ("**एनडीपीएस अधिनियम**") के अंतर्गत अभियोजन में उपस्थित होने वाले एक वकालत कर रहे अधिवक्ता की वर्तमान जनहित याचिका (पीआईएल) हमारा ध्यान एक चिंताजनक प्रथा की ओर आकर्षित करती है जो न्याय प्रणाली की नींव को हिला देती है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न एनडीपीएस मामलों में उद्धृत स्वतंत्र साक्षियों की एक बड़ी संख्या का परीक्षण नहीं किया जाता है, जिससे दोषसिद्धि की दर में गिरावट आती है और यह अनिवार्य रूप से हमारी विधिक प्रणाली की विश्वसनीयता को क्षतिग्रस्त करता है। अभिकथन के मूल में कहा गया है कि केंद्रीय जांच अभिकरण(एजेंसियां) कथित तौर पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों की वसूली के दौरान अविद्यमान स्वतंत्र साक्षियों का उपयोग करती हैं। प्रत्यर्थी के अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन हेतु आरोप पत्रों में इन स्वतंत्र साक्षियों का प्रोद्धरण देते हैं, यद्यपि, वे बाद में न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहते हैं और इस प्रकार प्रति-परीक्षा हेतु अनुपलब्ध हो जाते हैं। फिर भी अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53क के आधार पर इन बयानों पर निर्भर करता है, जो कथित रूप से इन बयानों को अभियुक्त के विरुद्ध वसूली के साक्ष्य के रूप में विधिक रूप से स्वीकार्य बनाता है।

2. याचिकाकर्ता मुख्य रूप से उन उदाहरणों को संबोधित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के स्थापन की मांग करता है जहां एनडीपीएस अधिनियम

की धारा 67 के अंतर्गत अभिलिखित स्वतंत्र साक्षियों के विवरण संदिग्ध माध्यमों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

3. दिनांक 3 मई, 2012 ("**प्रतिक्रिया**") की एक सूचना के अधिकार की प्रतिक्रिया पर उसके तर्क का आश्रय लेकर, जो नई दिल्ली के साकेत न्यायालय में एनडीपीएस/विशेष न्यायाधीश श्री एम.के. नागपाल की अध्यक्षता में चल रहे एनडीपीएस मामलों में स्वतंत्र साक्षियों की स्थिति पर प्रकाश डालता है। विशेष न्यायाधीश द्वारा सुने जा रहे 55 मामलों में से 29 ऐसे मामले थे जिनमें राजस्व असूचना निदेशालय **("रा.अ.नि.".)** (प्रत्यर्थी सं.1) द्वारा उद्धृत दोनों स्वतंत्र साक्षियों को विचारण चरण के दौरान खारिज कर दिया गया था। न्यायोचित्य, जिसे जैसा कि अन्वेषक अधिकारी **("आईओ")** द्वारा अभिलिखित और विशेष न्यायालय द्वारा विधिवत नोट किया गया है, या तो प्रदान किए गए पते पर साक्षी का पता लगाने में असमर्थता है या यह कि उक्त पता स्वयं गलत या अधूरा है। एक दर्जन मामलों में, उपरोक्त दो साक्षियों में से एक का लोप हो गया था। केवल 7 मामलों में दोनों स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण देखा गया, जबकि शेष नौ मामलों में या तो उस स्तर तक आगे बढ़ना बाकी था जहां साक्षियों को बुलाया जाता है, या विशिष्ट कारणों से परीक्षण स्थगित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता एक दिलचस्प पैटर्न पर प्रकाश डालता हैः प्रतिक्रिया में उल्लिखित 'अशोक' नाम के प्रत्येक साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा बाहर रखा गया था।

4. याचिकाकर्ता ने ***रा.अ.नि. बनाम सैमसन चुकवुडी*** और ***रा.अ.नि. बनाम सैमसन ओनेग्रा*** नामक मामलों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत चार साक्षियों के विवरण अभिलिखित किए हैं। इन कथनों की संवीक्षा करने से निम्नलिखित संप्रेक्षणों का पता चलता हैः क) चार साक्षियों में से तीन-अशोक कुमार (आयु 33 वर्ष), विनोद कुमार (आयु 27 वर्ष) और राजू (आयु 35 वर्ष)-सभी राम कुमार को अपने पिता होने और मकान नं. सी 56ए, मंडावली फजलपुर, दिल्ली के निवासी होने का दावा करते हैं। इसके अलावा, अशोक कुमार और विनोद कुमार जगसन गाँव में पैतृक उत्पत्ति की

पहचान करते हैं। इससे यह अनुमान लगाना तर्कसंगत है कि वे संभवतः भाई-बहन हैं। ख) उनके दावों में एक उल्लेखनीय असंगति है। जबकि अशोक कुमार और विनोद कुमार का प्रतिविरोध है कि उनके छह अन्य भाई हैं, जिनमें से तीन एक ही घर के निवासी हैं, राजू का कहना है कि उनके कुल पांच भाई-बहन हैं। इनमें अशोक कुमार और विनोद कुमार नाम के दो भाई शामिल हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे दोनों एक बहन के साथ दिल्ली में उनके साथ रहते हैं। याचिकाकर्ता अपने विवरण में इस विचलन को रेखांकित करते हुए सुझाव देता है कि ये वास्तविक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ग) उनके कथन इस बिंदु पर मिलते हैं कि, दो भिन्न-भिन्न अवसरों पर, वे रिंग रोड, आई.टी.ओ. के निकट थे, जब रा.अ.नि. के अधिकारियों ने संपर्क किया, और आसन्न वसूली कार्यों में साक्षियों के रूप में उनकी सहभागिता की याचना की। घ) उपरोक्त प्रतिक्रिया के अनुसार, निर्दिष्ट पते पर अशोक कुमार और विनोद कुमार का पता लगाने या उनसे संपर्क करने के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे उनका पता नहीं चल सका। इसी प्रकार, राजू का पता संदिग्ध बना रहा। परिणामस्वरुप, इन तीनों व्यक्तियों का दोनों मामलों के विचारण के चरणों के दौरान साक्षियों के रूप में लोप कर दिया गया था।

5. इस प्रकार याचिकाकर्ता इन तथाकथित 'स्वतंत्र' साक्षियों को हटाने की बार-बार होने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इन साक्षियों द्वारा प्रदान किए गए समान लेकिन कभी-कभी विरोधाभासी बयानों सहित, वह या तो उनके अविद्यमान या, कम से कम, सामान्य प्लेसहोल्डर साक्षियों के रूप में उनकी भूमिका का अनुमान लगाता है।

प्रासंगिक मुद्दे एवं अवलोकन

6. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं के महत्व को देखते हुए, इस न्यायालय ने 27 नवंबर, 2014 के आदेश द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती रेबेका जॉन और श्री दयान कृष्णन की विशेषज्ञता को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करना व्यवहार कुशल माना।

न्यायालय को उनकी सहायता याचिका की जटिलताओं को दूर करने में साधक थी। उन्होंने व्यापक प्रस्तुतियाँ देकर, प्रासंगिक वैधानिक ढांचे को समाहित करके और एनडीपीएस मामलों में विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा नियोजित ऐसे तरीकों की विधिसंगतता की संवीक्षा करके अनुकरणीय सेवा प्रदान की है। हम उनके प्रशंसनीय योगदान हेतु अपनी सराहना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष मामले को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उनकी प्रस्तुतियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए वर्तमान याचिका में चित्रित मुद्दों का संक्षेप में परीक्षण करेंगे।

7. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण के संबंध में अभियोजन और अन्वेषण के दौरान एनडीपीएस मामलों में विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा 'कल्पित' साक्षियों को उद्धृत करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभिकथन है कि रा.अ.नि., स्वा.नि.ब्यू.(एन.सी.बी.) आदि अभिकरणों(एजेंसियों) के अधिकारी धारा 67 के मनगढ़ंत बयान देते हैं। सुविधा हेतु धारा को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *धारा 67. जानकारी मांगने आदि की शक्ति।*
>
> *धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत है, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी पूछताछ के दौरान, -*
> *(क) स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांगना कि क्या इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है;*
> *(ख) किसी व्यक्ति से पूछताछ के लिए उपयोगी या प्रासंगिक कोई दस्तावेज या चीज़ प्रस्तुत करने या देने की अपेक्षा करता है;*
> *(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करना।*

8. याचिकाकर्ता का प्रतिविरोध है कि ये कल्पित 'स्वतंत्र' साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, और इसलिए, उनसे प्रति-परीक्षा नहीं की जा सकती है। इस स्थिति में

अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53क[1] पर निर्भर करता है, जो अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों की वसूली के साक्ष्य के रूप में इन साक्षियों के विवरणों की विधिक स्वीकार्यता प्रदान करता है।

9. वर्तमान विधिक संरचना में पर्याप्त प्रावधान हैं जो याचिकाकर्ता द्वारा उजागर की गई स्थिति से निपटेंगे, उदाहरण के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118, जो न्यायालय को कुछ साक्षियों के परिसाक्ष्यों को बाहर करने का अधिकार प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने ***तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) 4 एससीसी 1*** में धारा 67 के विवरणों के साक्ष्यिक मूल्य पर व्यापक रूप से विचार करते हुए एक निर्णय पारित किया है। बहुमत की राय है कि धारा 67 की शक्तियों का उपयोग धारा 42[2] के साथ-साथ सख्ती

---

[1] धारा 53क. कुछ परिस्थितियों में बयानों की प्रासंगिकता.

(1) धारा 53 के अंतर्गत अपराधों के अन्वेषण हेतु सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकारी द्वारा किसी पूछताछ या कार्यवाहियों के दौरान, ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित किया गया कोई ब्यान, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, उन तथ्यों की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन हेतु सुसंगत होगा जो उसमें अंतर्विष्ट हैं,

(क) जब बयान देने वाला व्यक्ति मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, या साक्ष्य देने में असमर्थ है, या प्रतिकूल पक्ष द्वारा उसे मार्ग से हटा दिया गया है, या जिसकी उपस्थिति बिना किसी विलंब या व्यय के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिसके अंतर्गत मामले की परिस्थितियों को न्यायालय अनुचित मानता है; या

(ख) जब बयान देने वाले व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षण किया जाता है और न्यायालय की राय है कि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बयान को न्याय के हित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं।

[2] धारा 42 - बिना वारंट या प्राधिकरण के प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व असूचना विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या कॉन्सटेबल से बेहतर रैंक का अधिकारी हो) जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया हो, या ऐसा कोई अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या कॉन्सटेबल से बेहतर रैंक का अधिकारी हो); या राज्य सरकार के राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का (सिपाही) जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई ज्ञान या जानकारी पर विश्वास करने का कारण है और उसे लिखित रूप में हटा लिया गया है कि कोई स्वापक औषधि, या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या

से किया जाना चाहिए, और दो धाराओं का संयुक्त पठन यह प्रावधान करता है कि धारा 67 के ब्यान केवल अन्वेषण से पूर्व जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, जो 'विश्वास करने का कारण' (धारा 42 (1)) बनाते हैं कि अपराध किया गया है, और कल्पना के किसी भी विस्तार से, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ("दं.प्र.सं.") की धारा 161 के अंतर्गत प्राप्त संस्वीकृत 'विवरण' के समान नहीं है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम, 1872 **("साक्ष्य अधिनियम"**) की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं, और इसलिए, उन्हें दिए गए किसी भी

अन्य अनुच्छेद जो इस प्रकार के अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने के कृत्य का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अंतर्गत अभिग्रहण या रोक लगाना या समपहरण हेतु उत्तरदायी है, किसी भी भवन में, वाहन या संलग्न स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच रखा या छुपाया जा सकता है, --

(क) ऐसे किसी भी भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश कर और उसकी तलाशी लें;

(ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़कर और ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को दूर करें;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री और कोई अन्य वस्तु और कोई पशु या वाहन जिसे उसके पास इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण किए जाने के लिए उत्तरदायी मानने का कारण है और कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जिस पर उसके पास विश्वास करने का कारण है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा जो इस अधिनियम के अध्याय Vक के अंतर्गत अभिग्रहण या रोक लगाने या समपहरण हेतु उत्तरदायी है; और

(घ) हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और, यदि वह उचित समझे, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध किया है:

यह उपबंधित करता है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्मित दवाओं या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति धारक के संबंध में, ऐसी शक्ति का प्रयोग उप-निरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा:

यह आगे उपबंधित करता है कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार किसी अपराधी के भागने के लिए साक्ष्य या सुविधा को छिपाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के अंतर्गत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके परंतुक के अंतर्गत अपने विश्वास हेतु आधार अभिलिखित करता है, तो वह बहत्तर घंटे के भीतर अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को उसकी एक प्रति भेजेगा।

संस्वीकृत 'विवरण' को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किसी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित करने से वर्जित किया जाएगा।[3]

10. इसलिए एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के दोषसिद्ध करने हेतु अभिग्रहण के समय धारा 67 के अंतर्गत अभिलिखित बयानों के विधिक प्रभाव को अब ***तोफान सिंह*** में निर्धारित कानून के अनुसार संबोधित किया गया है और हमें इस विषय में अधिक गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त के बावजूद, याचिका कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करती है, विशेष रूप से अपूर्ण विशिष्टियां देने वाले साक्षियों को उद्धृत करने की अन्वेषण अभिकरणों(एजेंसियों) की प्रथा के संबंध में; जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों के रूप में बुलाए जाने पर उनके बताए गए पते पर नहीं पाया जाता है; जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये साक्षी अविद्यमान थे।

दिशा-निर्देश

12. न्याय की नींव औचित्य, निष्पक्षता और विश्वास के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। एक संवैधानिक और एक वैधानिक अधिदेश है जिसके भीतर न्यायालय अभियुक्त को सभी दस्तावेज़ों और बयानों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपने मामले के समर्थन में किसी भी अभिलेख या साक्षी को पेश करने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है।[4] यह अभियोजन पक्ष पर सभी प्रासंगिक साक्ष्य/साक्षियों को प्रस्तुत करने का एक निहित दायित्व रखता है, जिनका मामले से संबंध है, जिसमें अभियुक्त[5] को अन्य

---

[3] तोफान सिंह का पैरा 158.1 (पूर्वोक्त)
धारा 25 - पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति प्रमाणित नहीं की जानी चाहिएः
किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी संस्वीकृति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होगी।

[4] सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ़ मनु शर्मा बनाम राज्य, (2010) 6 एससी सी 1

[5] संदर्भ में: आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के विरुद्ध आपराधिक विचारणों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए, स्वप्रेरणा रिट (आप.) सं. 1/2017।

सामग्रियों की एक सूची शामिल है, (जैसे कि ब्यान, या अधिग्रहण की गई वस्तुएं/दस्तावेज, किंतु जिन पर भरोसा नहीं किया गया है)। यह अभियुक्त को अपने प्रतिवाद हेतु एक उचित और न्यायसंगत अवसर प्रदान करेगा। इन उपायों के व्यावहारिक कार्यान्वयन से न्याय के वास्तविक मर्म को निर्धारित करने में काफी सहायता मिलेगी। न्यायिक अन्वेक्षा को कार्यवाही के अनुश्रवण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, विशेष रूप से संभावित रूप से कल्पित स्वतंत्र साक्षियों से जुड़े मामलों में, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों सतर्क रहें और न्याय के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। हमारे निर्देशों का उद्देश्य इस सिद्धांत को सुदृढ़ करना और एक अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इसलिए हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

12.1 आरोप पत्र में स्वतंत्र साक्षी का नाम, माता-पिता का नाम और पता के साथ-साथ साक्षी की तस्वीर या फोटो पहचान पत्र स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह अभियुक्त व्यक्तियों के लिए स्थायी जमानत हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। प्रत्यर्थी सं.1 के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि हाल ही में एनडीपीएस मामलों के लिए विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा भी ऐसी प्रथाओं को अपनाया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी प्रथाओं को बोर्ड भर में अपनाया जाना जारी रखा जाए।

12.2 नीचे उप-पैराग्राफ 5 में उल्लिखित डेटाबेस पर निर्भरता के माध्यम से, 'स्वतंत्र साक्षी' पहले गिरफ्तारी और/या अभिग्रहण हेतु साक्षी के रूप में पेश हुए मामलों की संख्या के बारे में आरोप पत्र में पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

12.3 सभी स्वतंत्र साक्षियों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय

द्वारा बुलाया जा सकता है, और उनके बयानों में किसी भी विसंगति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

12.4 अभियोजन अभिकरणों(एजेंसियों) को जहां भी संभव हो डिजिटल साधन अपनाने पर विचार करना चाहिए। जहां भी संभव हो, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु साक्षियों के ब्यान टाइमस्टैम्प और जियोटैग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलिखित किए जा सकते हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षा और पारदर्शिता की एक अतिरिक्त परत के रूप में काम करेंगे।

12.5 अन्वेषण अभिकरणों(एजेंसियों) को सभी स्वतंत्र साक्षियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस बनाए रखना चाहिए। इस डेटाबेस की समय-समय पर उन पैटर्न की पहचान करने हेतु समीक्षा की जानी चाहिए जो स्टॉक साक्षियों के उपयोग या अन्य अनियमितताओं का संकेत दे सकते हैं। प्रत्यर्थी सं.1 का कहना है कि यद्यपि यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे लागू करने में प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ हो सकती हैं। ऐसी अनियमित प्रथाओं पर अंकुश लगाने में एक सटीक, व्यापक और अद्यतन डेटाबेस की उपस्थिति के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। इसलिए, हम प्रत्यर्थीगण को ऐसे डेटाबेस को बनाए रखने के लिए साध्य और व्यावहारिक समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें समयबद्ध तरीके से इसे लागू करने का निर्देश देते हैं।

13. उपरोक्त सुझावों को अपनाने और प्रक्रियाओं को लगातार परिष्कृत करने से, हम एक आदर्श न्यायिक प्रणाली के करीब पहुंचते हैं जो सभी के लिए न्याय के उच्चतम मानकों को कायम रखती है।

14. लंबित आवेदनों के साथ निपटान किया जाता है।

न्या. संजीव नरूला

मु.न्या. सतीश चंद्र शर्मा

21 सितंबर, 2023
एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*